6 विलोपित विलोपित

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 पुर्नविलोकन –2911/2018 छतरपुर/भू.रा.

अशीष शर्मा तनय रामनरेश शर्मा निवासी वजरंग नगर वार्ड नं 18 छतरपुर म.प्र.

.............आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 10.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 10.5.18

विरूद्ध

श्रीमती कुल्दीप कौर तनय सरदार प्रीतम सिंह निवासी छतरपुर गुरूदार के सामने वार्ड नंम्बर 2 छतरपुर म.प्र

...........अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के निगरानी क 1825/छतरपुर/2017 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , आवेदक की निजी स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि आराजी 3798/1 रकवा 0.161 है0 मोजा छतरपुर जिला छतरपुर में स्थिति है जिसका विधिवत एंव नियमानुसार कम्प्यूटर मंशीन द्धारा सीमांकन भी हो चुका है। अनावेदक के द्धारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय मे एक आवेदन पत्र नक्सा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 16/अ–3/2016–17 मे दर्ज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्धारा दिनांक 23.12.2016 को उक्त भूमि के सरहर्दी काश्त कारो को वगैर सूचना व नोटिस जारी किये एक पक्षिय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन 02911/2018/छतरपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
02/7/-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2—यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भूरा/2017/1825 में पारित आदेश दिनांक 02.02.18 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन 02911/2018/छतरपुर/भूरा के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3— आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण निगरानी एक/निगरानी/छतरपुर/भूरा/2017/1825 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 02.02.18 से किया जा चुका है। 4—प्र0 क0 पुनर्वालोकन 02911/2018/छतरपुर/भूरा म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नावलोकन	

में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण क्रमांक पुनर्वालोकन 02911/2018/छतरपुर/भूरा उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:-

अ- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य